an>

Title: Need to ban cow slaughter in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) ः जिस तरह संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में शराब और उन अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध की बात कहीं गई है, जो स्वास्थ्य के लिए घातक है, उसी तरह गौ-वध पर पाबंदी के बारे मं भी कहा गया है। अनुच्छेद 47 में शराब और अन्य हानिकारक मादक पदार्थों पर पाबंदी की बात कही गई है तो अनुच्छेद 48 में गौ-वध पर प्रतिबंध की बात कहीं गई है, ताकि गौ-वंश को संरक्षण मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अधीन भारतीय संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे के तहत गौ-पशु परीरक्षण ऐसा मामला है, जिस पर राज्यों की विधायिका को कानून बनाने की विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए राज्यों का यह उत्तरदायित्व है कि वे गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कानून बनाकर लागू करें।

हमारे देश में आम जनमानस गाय को माता के रूप में आदर देता है और उसी भावना से उसकी और संतति की देखभाल करता है। गाय हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही उपयोगी पशु है। वह अमृतरूपी दूध ही नहीं बल्कि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गोबर के रूप में खाद भी प्रदान करती है तथा गो-मूत्र का प्रयोग भी तमाम गंभीर बीमारियों के उपचार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा गाय के बछड़े जब बड़े होकर बैल बन जाते हैं तब ये कृषि कार्यों में खेत जोतने तथा बैलगाड़ी आदि में प्रयोग में लाये जाते हैं। गाय एक बहुत ही सीधा और ममतामयी पशु है। कई बार हमें देखने को मिला है कि गौ माता पीड़ितों के दुःख से दुखीभूत होकर आंखों में आंसू भर लेती है। यह हमारी संस्कृति ही नहीं बल्कि हिन्दू धर्म की एक महती विशेषता है कि हमारे तमाम यशस्वी राष्ट्र नेताओं ने गौ-संरक्षण पर बल दिया है। हमारे देश के ऋषितुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी गौ-संरक्षण के पुरज़ोर समर्थक रहे हैं। आज भी गौ-संरक्षण उनकी चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी गौ-संरक्षण के लिए तत्काल पहल की है तथा गौ-वध पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में गौ-संरक्षण हेतु सख्त कानून बनाकर गौ-वंश की रक्षा सुनिश्चित करें।